वन अधिकार अधिनियम पर नीति और शोध संवाद

एक्सआईएसएस

रांची, विशेष संवाददाता। जेवियर समाज सेवा संस्थान में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल सर्विस, मुंबई और फाउंडेशन फॉर इकोलॉजिकल सिक्योरिटी के सहयोग से बुधवार को- झारखंड में वन अधिकार अधिनियम-2006, पर नीति और शोध संवाद का आयोजन हुआ।

अजय नाथ झा, आदिवासी कल्याण आयुक्त, झारखंड सरकार ने कहा कि यह कार्यशाला वन अधिकार अधिनियम-2006 के इर्द-गिर्द संवाद को संबोधित करने की दिशा में आवश्यक कदम है, जहां शोध अंतर्दृष्टि साझा की जाएगी और लोगों के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सामूहिक प्रयास किए जाएंगे। संस्थान के निदेशक डॉ जोसफ मारियानुस कुजूर ने कहा कि एफआरए-2006 वन-आश्रित समुदायों के अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम का प्रतिनिधित्व करता है।

कहा, इस कार्यशाला के माध्यम से लक्ष्य उभरती चुनौतियों का समाधान करना व नीति निर्माताओं, शोधकर्ताओं और कम्युनिटी लीडर्स के बीच संवाद स्थापित करना है और यह सुनिश्चित करना है कि इसका लाभ मिले।

PRESS:HINDUSTAN

एक्सआईएसएस में वन अधिकार अधिनियम 2006 पर एक दिवसीय नीति और शोध संवाद आयोजित

रांची : टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल सर्विस (टीआईएसएस), मुंबई और फाउंडेशन फॉर इकोलॉजिकल सिक्योरिटी (एफईएस) के सहयोग से आयोजित हुआ कार्यक्रम जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल सर्विस (एक्सआईएसएस), रांची ने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल सर्विस (टीआईएसएस), मुंबई और फाउंडेशन फॉर इकोलॉजिकल सिक्योरिटी (एफईएस) के सहयोग से बुधवार को संस्थान कैंपस में झारखंड में वन अधिकार अधिनियम 2006 पर एक दिवसीय नीति और शोध संवाद का आयोजन किया। संस्थान के निदेशक डॉ जोसफ मारियानुस कुजूर एसजे ने इस सत्र के महत्व को बताते हुए कहा कि एक्सआईएसएस में हम महत्वपूर्ण चचाओं को सुविधाजनक बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं जो प्रगति को आगे बढ़ाते हैं और वन अधिकार अधिनियम (एफआरए) 2006 वन-आश्रित समुदायों के अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम का प्रतिनिधित्व करता है। इस कार्यशाला के माध्यम से हमारा लक्ष्य उभरती चुनौतियों का समाधान करना और नीति निमार्ताओं, शोधकताओं और कम्युनिटी लीडर्स के बीच एक संवाद स्थापित करना है और यह सुनिश्चित करना है कि इस अधिनियम का लाभ उन लोगों तक पहुंचे जिन्हें इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है।

PRESS:FREEDOM FIGHTER

BREAKING NEWS | LATEST NEWS | कैंपस | झारखण्ड

वन अधिकार अधिनियम 2006 पर एक-दिवसीय नीति और शोध संवाद

September 11, 2024 Lens Eye News Comment(0)

राची, झारखण्ड | सितम्बर 11, 2024 ::

जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल सर्विस (एक्सआईएसएस), रांची ने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल सर्विस (टीआईएसएस), मुंबई और फाउंडेशन फॉर इकोलॉजिकल सिक्योरिटी (एफईएस) के सहयोग से बुधवार को संस्थान कैंपस में झारखंड में वन अधिकार अधिनियम 2006 पर एक दिवसीय नीति और शोध संवाद का आयोजन किया।

संस्थान के निदेशक डॉ जोसफ मारियानुस कुजूर एसजे ने इस सत्र के महत्व को बताते हुए कहा कि एक्सआईएसएस में हम महत्वपूर्ण चर्चाओं को सुविधाजनक बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं जो प्रगति को आगे बढ़ाते हैं और वन अधिकार अधिनियम (एफआरए) 2006 वन-आश्रित समुदायों के अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम का प्रतिनिधित्व करता है। इस कार्यशाला के माध्यम से हमारा लक्ष्य उभरती चुनौतियों का समाधान करना और नीति निर्माताओं, शोधकर्ताओं और कम्युनिटी लीडर्स के बीच एक संवाद स्थापित करना है और यह सुनिश्चित करना है कि इस अधिनियम का लाभ उन लोगों तक पहुंचे जिन्हें इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है।

इससे पहले, झारखंड सरकार के आदिवासी कल्याण आयुक्त, अजय नाथ झा ने कार्यशाला का उद्घाटन किया और उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा, "यह कार्यशाला वन अधिकार अधिनियम (एफआरए) 2006 के इर्द-गिर्द संवाद को संबोधित करने की दिशा में एक आवश्यक कदम है, जहां शोध अंतर्दृष्टि साझा की जाएगी और लोगों के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सामूहिक प्रयास किए जाएंगे। हाल ही में, राज्य सरकार ने "अबुआ बीर अबुआ दिशोम" कार्यक्रम शुरू करके एफआरए के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को नवीनीकृत किया है, जिसका उद्देश्य मिशन-मोड तरीके से झारखंड में समुदायों के अधिकारों की सुरक्षा करना है।"

कार्यशाला की शुरुआत करते हुए, टीआईएसएस, मुंबई के प्रोफेसर और डीन श्री गीतंजोय साहू ने देश और विशेष रूप से झारखंड में एफआरए की स्थिति पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा, "अपने महत्वपूर्ण वन क्षेत्र और पर्याप्त आदिवासी आबादी के बावजूद, झारखंड वन अधिकार अधिनियम, 2006 को लागू करने में पिछड़ गया है। एटीआरईई की एक रिपोर्ट के अनुसार, झारखंड में एफआरए के तहत 47 लाख एकड़ तक वन भूमि को मान्यता देने की क्षमता है। हालांकि, इस क्षमता का केवल 4% ही साकार हुआ है, जिसमें सामुदायिक वन अधिकारों पर व्यक्तिगत वन अधिकारों को प्राथमिकता दी गई है। इसलिए, इस कार्यशाला में, हमारा उद्देश्य ऐसी सभी चिंताओं को दूर करना और लोगों और नीति निर्माताओं के बीच संवाद बनाना है।"

कार्यशाला में एफआरए कार्यान्वयन चुनौतियों और विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) पर प्रभाव की जांच, एफआरए शीर्षकों की पर्याप्तता और वितरण का आकलन, एफआरए दावा अस्वीकृति के कारणों का विश्लेषण और समीक्षा प्रक्रियाओं की प्रभावशीलता, एफआरए के तहत एनटीएफपी मूल्य श्रृंखला और बाजार एकीकरण का मूल्यांकन, राज्य नीतियों में एफआरए के राजनीतिक महत्व की जांच, सामाजिक बुनियादी ढांचे के कार्यक्रमों के साथ एफआरए के एकीकरण की जांच, विकास परियोजनाओं और एफआरए अनुपालन के लिए वन डायवर्सन प्रभावों का आकलन उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य झारखंड में वन अधिकारों के कार्यान्वयन और वकालत में शामिल विभिन्न हितधारकों को एक साथ लाकर अनुसंधान और सहभागिता के लिए प्रमुख क्षेत्रों की पहचान करना है। इस कार्यक्रम में इस विषय से सम्बंधित सभी हितधारकों ने शिरकत की और टीआईएसएस, मुंबई की अनुसंधान अधिकारी सुश्री उषा पूर्ति और सुश्री ऐश्वर्या ने कोआर्डिनेट किया।

PRESS:LENS EYE NEWS

वन अधिकार अधिनियम 2006 पर एक-दिवसीय नीति और शोध संवाद

राची, झारखण्ड | सितम्बर 11, 2024 ::
जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल सर्विस (एक्सआईएसएस), रांची ने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल सर्विस (टीआईएसएस), मुंबई और फाउंडेशन फॉर इकोलॉजिकल सिक्योरिटी (एफईएस) के सहयोग से बुधवार को संस्थान कैंपस में झारखंड में वन अधिकार अधिनियम 2006 पर एक दिवसीय नीति और शोध संवाद का आयोजन किया।
संस्थान के निदेशक डॉ जोसफ मारियानुस कुजूर एसजे ने इस सत्र के महत्व को बताते हुए कहा कि एक्सआईएसएस में हम महत्वपूर्ण चर्चाओं को सुविधाजनक बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं जो प्रगति को आगे बढ़ाते हैं और वन अधिकार अधिनियम (एफआरए) 2006 वन-आश्रित समुदायों के अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम का प्रतिनिधित्व करता है। इस कार्यशाला के माध्यम से हमारा लक्ष्य उभरती चुनौतियों का समाधान करना और नीति निर्माताओं, शोधकर्ताओं और कम्युनिटी लीडर्स के बीच एक संवाद स्थापित करना है और यह सुनिश्चित करना है कि इस अधिनियम का लाभ उन लोगों तक पहुंचे जिन्हें इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है।

इससे पहले, झारखंड सरकार के आदिवासी कल्याण आयुक्त, अजय नाथ झा ने कार्यशाला का उद्घाटन किया और उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा, “यह कार्यशाला वन अधिकार अधिनियम (एफआरए) 2006 के इर्द-गिर्द संवाद को संबोधित करने की दिशा में एक आवश्यक कदम है, जहां शोध अंतर्दृष्टि साझा की जाएगी और लोगों के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सामूहिक प्रयास किए जाएंगे। हाल ही में, राज्य सरकार ने "अबुआ बीर अबुआ दिशोम" कार्यक्रम शुरू करके एफआरए के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को नवीनीकृत किया है, जिसका उद्देश्य मिशन-मोड तरीके से झारखंड में समुदायों के अधिकारों की सुरक्षा करना है।”

कार्यशाला की शुरुआत करते हुए, टीआईएसएस, मुंबई के प्रोफेसर और डीन श्री गीतंजोय साहू ने देश और विशेष रूप से झारखंड में एफआरए की स्थिति पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा, “अपने महत्वपूर्ण वन क्षेत्र और पर्याप्त आदिवासी आबादी के बावजूद, झारखंड वन अधिकार अधिनियम, 2006 को लागू करने में पिछड़ गया है। एटीआरईई की एक रिपोर्ट के अनुसार, झारखंड में एफआरए के तहत 47 लाख एकड़ तक वन

भूमि को मान्यता देने की क्षमता है। हालांकि, इस क्षमता का केवल 4% ही साकार हुआ है, जिसमें सामुदायिक वन अधिकारों पर व्यक्तिगत वन अधिकारों को प्राथमिकता दी गई है। इसलिए, इस कार्यशाला में, हमारा उद्देश्य ऐसी सभी चिंताओं को दूर करना और लोगों और नीति निर्माताओं के बीच संवाद बनाना है।" कार्यशाला में एफआरए कार्यान्वयन चुनौतियों और विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) पर प्रभाव की जांच, एफआरए शीर्षकों की पर्याप्तता और वितरण का आकलन, एफआरए दावा अस्वीकृति के कारणों का विश्लेषण और समीक्षा प्रक्रियाओं की प्रभावशीलता, एफआरए के तहत एनटीएफपी मूल्य श्रृंखला और बाजार एकीकरण का मूल्यांकन, राज्य नीतियों में एफआरए के राजनीतिक महत्व की जांच, सामाजिक बुनियादी ढांचे के कार्यक्रमों के साथ एफआरए के एकीकरण की जांच, विकास परियोजनाओं और एफआरए अनुपालन के लिए वन डायवर्सन प्रभावों का आकलन उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य झारखंड में वन अधिकारों के कार्यान्वयन और वकालत में शामिल विभिन्न हितधारकों को एक साथ लाकर अनुसंधान और सहभागिता के लिए प्रमुख क्षेत्रों

की पहचान करना है। इस कार्यक्रम में इस विषय से सम्बंधित सभी हितधारकों ने शिरकत की और टीआईएसएस, मुंबई की अनुसंधान अधिकारी सुश्री उषा पूर्ति और सुश्री ऐश्वर्या ने कोआर्डिनेट किया।

PRESS:NEWS ROOM